अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
7/17 श्रीगंगानगर

A8
7

यायालयः विवाह अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0
विवाह प्रार्थना पत्र सं0 /2017
प्रार्थना पत्र अ0 विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित कराये जाने बाबत पक्षकार श्री श्यामलाल एवं श्रीमति सुनीता
आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2017

विवाह के पक्षकार प्रार्थीगण श्री श्यामलाल पुत्र साधुराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 एम.एल. नाथावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं सुनीता पुत्री श्री राजेन्द्रप्रसाद जाति कुम्हार निवासी मकान नम्बर 96 नई कॉलोनी, ढाणी बडी, तहसील राजगढ जिला चुरू ने संयुक्त रूप से जरिये अधिवक्ता श्री बाबूलाल डूडी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2017 के साथ धारा 5 आशयित विवाह की सूचना प्रस्तुत कर विवाह अनुष्ठापित कराने का निवेदन किया है।

आवेदन पत्र के साथ प्रार्थीगण ने स्वंय के हल्फनामें, धारा 11 के अधीन वर एव वधु की घोषणा एवं तीन अन्य गवाहन के शपथ पत्र पेश किये है। प्रार्थना पत्र के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजात एवं आई.डी. प्रूफ की फोटो प्रतियां पेश की गई है।

आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2017 को पेश किया था। निर्धारित शुल्क दिनांक 24.07.2017 को जमा हो चुका था। दिनांक 26.07..2017 को तीस दिवस की आपत्ति सूचना पत्र जारी किये गये थे।

विवाह के पक्षकारान के अधिवक्ता दिनांक 19.06.2017 को शुल्क जमा करवाने के बाद दिनांक 11.08.2017 उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के विचार आपस में नही मिलते है एवं प्रार्थीगण एक दूसरे से अलग रह रहे है। इसलिए प्रार्थीगण अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के विवाह पंजीयन आवेदन पत्र में आगामी कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप फरमाई जावें।

फलस्वरूप , विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 14 के प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण का विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापन कराये जाने के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही विवाह के पक्षकारण के स्वयं के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आश्य का प्रस्तुत करने पर कि हम विवाह का पंजीकरण नही करवाना चाहते । कार्यवाही ड्रोप की जाती है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति विवाह के पक्षकार वर को रजिस्टर्ड डाक से भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 4/9/17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/9/17

(नखतदान बारहठ)
विवाह अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन) श्रीगंगानगर